भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3520

दिनांक 13 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का कार्यान्वयन

3520. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत मातृत्व लाभ को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अंतर्गत सभी पात्र गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक कानूनी अधिकार के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों, आवंटित/वितरित की गई निधि और प्रभावी कवरेज के वर्तमान प्रतिशत का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वितरण में देरी और आधार-आधारित सत्यापन संबंधी मुद्दे पात्र महिलाओं को प्रभावी कर रहे हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आवेदन प्रक्रियाओं को सरल बनाने, डिजिटल प्रणालियों को मजबूत करने और ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों सहित सभी पात्र महिलाओं को लाभ का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं के अधीन रहते हुए प्रत्येक गर्भवती महिला एवं

स्तनपान कराने वाली माता (पीडब्ल्यू एंड एलएम) कम से कम छह हजार रुपये के मातृत्व लाभ की हकदार होंगी, जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किस्तों में दिया जाएगा। लेकिन इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित रूप से कार्यरत महिलाएं या किसी भी क्रियान्वित कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रही महिलाओं को दायरे से बाहर रखा गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की धारा 39 की उपधारा 3 के अंतर्गत 22 दिसंबर, 2022 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना नियम, 2022 (पीएमएमवीवाई नियम) अधिसूचित किए।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यू एंड एलएम) को ₹5,000/- का मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है और यह लाभ गर्भावस्था और स्तनपान की अवधि के दौरान दिया जाता है। संस्थागत प्रसव के बाद, पात्र लाभार्थी को जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत मातृत्व लाभ के रूप में स्वीकृत मानदंडों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन भी प्राप्त होता है, जिससे औसतन किसी महिला को ₹6,000/- मिलते हैं।

(ख): 01.04.2022 से 09.03.2026 तक पीएमएमवीवाई के तहत भुगतान किए गए लाभार्थियों की संख्या और वितरित की गई निधि का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग): पीएमएमवीवाई एक डीबीटी योजना है जिसके तहत लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक/डाकघर खाते में निधि सीधे अंतरित की जाती है, आदर्श रूप से पीएमएमवीवाई पोर्टल पर सफल नामांकन के 30 दिनों के भीतर। पीएमएमवीवाई योजना के तहत, 01.04.2023 से आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, पीएमएमवीवाई के तहत सभी नए नामांकनों के लिए 21 मई, 2025 से चेहरे की पहचान के माध्यम से आधार-आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।

(घ): हाल ही में, भारत सरकार ने आवेदन प्रक्रियाओं को सरल बनाने, डिजिटल प्रणालियों को मजबूत करने और ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों सहित पात्र महिलाओं को समय पर लाभ वितरण सुनिश्चित करने के लिए कई सुधारात्मक उपाय किए हैं। इनमें से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:

i. पीएमएमवीवाई के लिए नया पोर्टल, जो पूरी तरह से पेपरलेस है, मार्च 2023 में शुरू किया गया था। पूर्व दिशानिर्देशों के अनुसार, आगे की प्रक्रिया के लिए कागजी फॉर्म भरकर पहले के पीएमएमवीवाई-सीएएस पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक था। नई प्रणाली में, कागजी आवेदन फॉर्म को समाप्त कर दिया गया है और पूरी तरह से ऑनलाइन समाधान दिया गया है।

ii. चूँकि पीएमएमवीवाई पोर्टल आवेदकों की पहचान की पुष्टि के लिए आधार कार्ड - आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन (चेहरे की पहचान के माध्यम से) के लिए सक्षम है इसलिए आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली [एबीपीएस] के माध्यम से भुगतान होता है ताकि आवेदकों की पहचान सम्बन्धी विवरण की पुष्टि की जा सके।

iii. तेजी से कार्रवाई के लिए पंजीकरण के समय ही आधार सत्यापन, बैंक खाते की डीबीटी सक्षमता आदि जैसे सभी अनिवार्य प्रावधानों की जाँच की जाती है।

iv. सभी नामांकित लाभार्थियों के लिए सर्च एवं ट्रैक करें की सुविधा है ताकि वे अपने आवेदनों की स्वीकृति और भुगतान की स्थिति देख सकें।

v. सभी नागरिकों के लिए शिकायत दर्ज करने और स्थिति जानने का मॉड्यूल दिया गया है ताकि वे पीएमएमवीवाई से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज कर सके। यह मॉड्यूल सीधे कार्यान्वयन प्राधिकारियों को शिकायत भेजता है जिससे समय की बचत होती है एवं त्वरित समाधान होता है।

vi. पीएमएमवीवाई से संबंधित पूछताछ और शिकायतों के लिए पीएमएमवीवाई टोल-फ्री और बहुभाषी हेल्पलाइन (1515) उपलब्ध है। पारदर्शिता के उद्देश्य से, आवेदकों/लाभार्थियों को आवेदन का पंजीकरण, पंजीकरण की अस्वीकृति, भुगतान इत्यादि जैसे विभिन्न चरणों में 12 भाषाओं में से किसी एक में एसएमएस प्राप्त होता है।

vii. पीएमएमवीवाई पोर्टल आंगनवाड़ी केंद्र स्तर तक एलजीडी कंप्लेंट है। एलजीडी सीडिंग राज्य/ज़िला/ब्लॉक/ ग्राम/ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर तक शुरू की गई है।

viii. ओपन एपीआई अन्य केंद्रीय और राज्य मंत्रालय/विभाग के साथ आंकड़े साझा करने की सुविधा देता है।

ix. विस्तृत निगरानी/विश्लेषण के लिए राज्य/जिला/ब्लॉक/ग्राम/वार्ड/परियोजना/सेक्टर /आंगनवाड़ी स्तर पर एमआईएस आंकड़े तैयार किए जा सकते हैं।

x. आंगनवाड़ी/आशा कार्यकर्त्रियों द्वारा पीएमएमवीवाई का उपयोग आंकड़े केंद्रित संचालन और रिपोर्ट देखने के लिए किया जाएगा।

xi. पोषण ट्रैकर से पीडब्ल्यू एवं एलएम के उपलब्ध डेटाबेस का उपयोग आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/आशा स्तर पर सुलभ पीएमएमवीवाई पोर्टल पर संभावित लाभार्थियों की "देय सूची (ड्यू लिस्ट)" बनाने के लिए किया जाता है।

-x-x-x-x-

अनुलग्नक

'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का कार्यान्वयन' के संबंध में माननीय सांसद श्री ईश्वरस्वामी के. द्वारा पूछे गए दिनांक 13.03.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3520 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भुगतान किए गए लाभार्थी	वितरित राशि (करोड़ रुपए में)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5,069	1.95
2	आंध्र प्रदेश	10,52,936	437.07
3	अरुणाचल प्रदेश	16,871	7.14
4	असम	8,22,031	354.69
5	बिहार	20,29,218	850.92
6	चंडीगढ़	18,040	7.53
7	छत्तीसगढ़	9,24,892	339.73
8	डीएनएचडीडी	20,860	7.69
9	दिल्ली	3,27,272	140.35
10	गोवा	22,273	8.92
11	गुजरात	12,41,909	450.26
12	हरियाणा	5,46,772	231.13
13	हिमाचल प्रदेश	1,95,092	78.40
14	जम्मू और कश्मीर	3,20,351	129.09
15	झारखंड	6,86,244	259.01
16	कर्नाटक	21,40,436	863.03
17	केरल	6,22,707	244.50
18	लद्दाख	6,020	2.47
19	लक्षद्वीप	2,330	0.82
20	मध्य प्रदेश	29,56,388	1,089.92
21	महाराष्ट्र	21,36,567	840.65

22	मणिपुर	45,989	21.79
23	मेघालय	41,281	19.22
24	मिजोरम	23,812	10.19
25	नागालैंड	25,343	12.31
26	ओडिशा	94,883	28.46
27	पुदुच्चेरी	25,977	10.35
28	पंजाब	5,10,336	217.58
29	राजस्थान	20,13,852	718.20
30	सिक्किम	11,345	4.64
31	तमिलनाडु	14,17,773	466.56
32	त्रिपुरा	99,136	38.15
33	उत्तर प्रदेश	23,41,940	1,071.17
34	उत्तराखंड	3,05,037	112.91
35	पश्चिम बंगाल	8,68,049	394.17
कुल		2,39,19,031	9,470.93

-x-x-x-x-